संचालनालय, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छत्तीसगढ़

क्रमांक 1/स्था/राज/2018/ 5468 रायपुर, दिनांक 19 NOV 2018

प्रति,

सचिव
श्री जुगमहादेव एजुकेशन सोसायटी,
दुर्ग (छ0ग0)

विषय- जानकारी प्रदान करने हेतु।
संदर्भ- आपका पत्र क्रमांक बीएएमसीएच/ए0सी0ए0/2018/156/दुर्ग, दिनांक 17.11.2018

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपने अवगत कराया है कि कॉलेज लेवल पर दिनांक 15.11.2018 को मेरिट सूची के आधार पर काउंसिलिंग कर 11 विद्यार्थियों का चयन कर संस्था में प्रवेश दिया गया है।

छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी छत्तीसगढ़ आयुष स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2018 के नियम 8(1) में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि शासकीय एवं निजी आयुष महाविद्यालय की समस्त सीटों पर प्रवेश की कार्यवाही संचालक द्वारा की जावेगी। इसके उपरान्त भी आपके द्वारा कालेज स्तर पर प्रवेश की कार्यवाही की गई जो कि अवैधानिक व नियमों के विपरित है।

अतः आपके द्वारा प्रवेश नियमों के विपरित प्रवेशित छात्रों का प्रवेश अमान्य किया जाता है। इस संबंध में संबंधित को अवगत कराते हुए कृत कार्यवाही से संचालनालय को भी अवगत करावे।

संचालक
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा,
यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष)
छत्तीसगढ़

क्रमांक 1/स्था/राज/2018/ रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपिः-

1. सचिव, भारत सरकार आयुष मंत्रालय, जी0पी0ओ0 काम्पलेक्स, आई0एन0ए0, नईदिल्ली की ओर सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. कुल सचिव, पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य, विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय अटल नगर, रायपुर छ0ग0 की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

संचालक
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा,
यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष)
छत्तीसगढ़

steno\880